

**न्यायालय:-अमनदीपसिंह छाबड़ा,
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर जिला बालाघाट(म0प्र0)**

आप.प्रक.क्रमांक-51 / 2014

संस्थित दिनांक-22.01.2014

फाई. क्र.234503001292014

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र-मलाजखंड
जिला-बालाघाट (म.प्र.)

— — — **अभियोजन**// **विरुद्ध** //

1. दुर्गेश मात्रे पिता गणेश मात्रे, उम्र-19 वर्ष,
निवासी वार्ड नं.08 बंजारीटोला थाना मलाजखण्ड जिला बालाघाट
2. पदमसिंह सैय्याम पिता सुकलूसिंह सैय्याम
निवासी ग्राम भीमजोरी थाना मलाजखण्ड जिला बालाघाट

— — — **आरोपीगण**// **निर्णय** //**(आज दिनांक 06/12/2017 को घोषित)**

01. आरोपी दुर्गेश मात्रे के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279, 337 एवं मो.व्ही.एक्ट की धारा-3/181 के तहत यह आरोप है कि उसने दिनांक 03.01.2014 को 20:30 बजे स्थान ग्राम पौनी लोकमार्ग पर थानांतर्गत मलाजखंड में वाहन मोटर सायकिल क्रमांक एम.पी.50.एम.सी.1157 को उपेक्षापूर्वक एवं उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित कर आहत दिलीप सोनी की मोटर सायकिल को टक्कर मारकर उसे साधारण उपहति कारित किया तथा उक्त वाहन को बिना वैध अनुज्ञप्ति (ड्रायविंग लायसेंस) के चालन किया। आरोपी पदमसिंह सैय्याम के विरुद्ध मो.व्ही. एक्ट की धारा-5/180 के तहत यह आरोप है कि उसने घटना दिनांक समय व स्थान पर उक्त वाहन को बिना वैध अनुज्ञप्तिधारी (ड्रायविंग लायसेंस) के चालक दुर्गेश मात्रे को चलाने को दिया।

02— अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 03.01.09 को फरियादी दिलीप सोनी ने थाना में आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि रात्रि 08:30 बजे अपनी मोटर सायकिल क्रमांक एम.पी.50.एम.सी.7990 से मलाजखंड से अपने घर पौनी जा रहा था, तभी ग्राम पौनी में रोड पर प्रमोद गुप्ता की दुकान के सामने एक मोटर सायकिल चालक मोहगांव तरफ से तेजी एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर आया और सामने से उसे टक्कर मार दिया, जिससे उसे बांये हाथ के कंधे, बांये चेहरे, दाहिने घुटने में चोटें आई। उक्त रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 02/2014, अंतर्गत धारा-279, 337 भा.द.वि. के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया। विवेचना दौरान घटनास्थल का मौका-नक्शा तैयार किया गया, साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये तथा आरोपी से वाहन जप्त कर जप्ती पंचनामा तैयार किया गया। विवेचना दौरान आरोपी चालक द्वारा बिना अनुज्ञप्ति के वाहन चलाये जाने तथा वाहन मालिक द्वारा बिना अनुज्ञप्तिधारी व्यक्ति से वाहन

चलाये जाने के कारण प्रकरण में मोटर यान अधिनियम की धारा-धारा-3/181, 5/180 का ईजाफा किया गया तथा आरोपी दुर्गेश मात्रे को गिरफ्तार कर सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

03- आरोपी दुर्गेश मात्रे को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-धारा-279, 337 एवं मो.व्ही.एक्ट की धारा-3/181 तथा आरोपी पदमसिंह सैयाम के विरुद्ध धारा-5/180 के अंतर्गत अपराध विवरण तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उन्होंने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। विचारण के दौरान फरियादी/आहत दिलीप सोनी ने अभियुक्त दुर्गेश मात्रे से राजीनामा कर लिया। अतः अभियुक्त दुर्गेश मात्रे को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-337 के अपराध से दोषमुक्त किया गया तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279 एवं मोटर व्हीकल एक्ट की धारा-3/181 तथा अभियुक्त के विरुद्ध धारा-5/180 का अपराध शमनीय न होने से विचारण किया गया। अभियुक्तगण ने धारा-313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त कथन में स्वयं को झूठा फँसाया जाना प्रकट किया है। अभियुक्तगण ने प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं की।

04- प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह हैं कि:-

1-क्या आरोपी दुर्गेश मात्रे ने दिनांक 03.01.2014 को 20:30 बजे स्थान ग्राम पौनी लोकमार्ग पर थानांतर्गत मलाजखंड में वाहन मोटर सायकिल क्रमांक एम.पी.50.एम.सी.1157 को उपेक्षापूर्वक एवं उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया ?

2-क्या आरोपी दुर्गेश मात्रे ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को बिना वैध अनुज्ञप्ति (ड्रायविंग लायसेंस) के चालन किया ?

3-क्या आरोपी पदमसिंह सैयाम ने उक्त घटना दिनांक समय व स्थान पर उक्त वाहन को बिना वैध अनुज्ञप्तिधारी (ड्रायविंग लायसेंस) के चालक दुर्गेश मात्रे को चलाने हेतु दिया ?

विवेचना एवं निष्कर्ष:-

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 01:-

05- साक्षी दिलीप सोनी अ.सा.03 का कथन है कि वह आरोपी को जानता है। घटना उसके न्यायालयीन कथन से लगभग एक साल पहले शाम के समय की है। वह अपनी मोटर सायकिल से मलाजखंड की तरफ अपने घर जा रहा था। वह पौनी में प्रमोद गुप्ता की दुकान के सामने पहुंचा ही था, तभी आरोपी दुर्गेश पौनी तरफ से अपनी मोटर साईकिल को तेज गति एवं लहराते हुये लाकर सामने से उसकी मोटर साईकिल को टक्कर मार दिया था, जिससे वह गिर गया था और उसे हाथ और चेहरे पर चोट

आई थी। उसे आरोपी की गाड़ी का नंबर याद नहीं है। घटना होते हुये प्रमोद गुप्ता एवं अन्य दुकानदारों ने देखी थी। आरोपी दुर्गेश की गलती के कारण दुर्घटना घटित हुई थी, जिसकी रिपोर्ट उसने थाना मलाजखण्ड में की थी, जो प्र.पी.03 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसका मुलाहिजा मलाजखण्ड सी.पी. हॉस्पिटल में हुआ था। पुलिस मौके पर आई थी और उसकी निशादेही पर मौका-नक्शा प्र.पी.04 बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने घटना के संबंध में पूछताछ कर उसके बयान लिये थे।

06— साक्षी दिलीप सोनी अ.सा.03 ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि वह घटना दिनांक को वाहन चलाते हुये मलाजखण्ड से पौनी की ओर जा रहा था। वह घटना दिनांक को कक्षा आठवीं में पढ़ता था आज नौवीं कक्षा में है। साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि आरोपी पौनी से मलाजखण्ड जा रहा था, किन्तु यह स्वीकार किया है कि वह जिस वाहन को चला रहा था, वह सुपर स्प्लेण्डर कंपनी का वाहन था। यह अस्वीकार किया कि एफ.आई.आर. लेख कराते समय उसकी मौत थाने आई थी। साक्षी के अनुसार बाद में आई थी। यह स्वीकार किया है कि उक्त घटना के दौरान दुर्गेश को भी चोट आई थी, दुर्गेश के द्वारा भी उसके विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी तथा उसके विरुद्ध उक्त घटना के संबंध में प्रकरण न्यायालय के समक्ष चल रहा है, किन्तु यह अस्वीकार किया है कि घटना दिनांक को वह अपनी गाड़ी को असावधानीपूर्वक चला रहा था। साक्षी के अनुसार सावधानी से चला रहा था। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि घटना दिनांक को वह कक्षा आठवीं का छात्र था तथा उसकी उम्र-13 वर्ष की थी, किन्तु यह अस्वीकार किया है कि उसके द्वारा तेज गति से वाहन चलाकर दुर्गेश को चोट पहुंचाई गई है

07— साक्षी दिलीप सोनी अ.सा.03 ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह अस्वीकार किया है कि उसने पुलिस को रिपोर्ट लिखाते समय आरोपी द्वारा अपने वाहन को तेज गति एवं लापरवाहीपूर्वक चलाने वाली बात नहीं बतायी थी, किन्तु यह स्वीकार किया है कि घटना दिनांक को उसके पास वाहन चलाने के संबंध में कोई पंजीकृत दस्तावेज नहीं थे, जिस वाहन से उसे टक्कर मारी गई वाहन का रंग व नम्बर उसे नहीं मालूम। साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि उसकी निशादेही पर पुलिस ने घटनास्थल का मौका-नक्शा नहीं बनाया था, घटना के संबंध में उसने पुलिस को कोई बयान नहीं दिया था, वह आज पहली बार घटना के संबंध में कथन कर रहा है। यह अस्वीकार किया है कि जिस वाहन को वह चला रहा था, उक्त वाहन से गिरने के कारण उसे चोट आई थी, किन्तु यह स्वीकार किया है कि घटना की रिपोर्ट उसके एवं उसकी मम्मी के बताये अनुसार लेख की गई।

08— साक्षी अतुलसिंह धुर्वे अ.सा.01 का कथन है कि वह आरोपीगण एवं प्रार्थी दोनों को नहीं जानता है। घटना के संबंध में उसे कोई जानकारी नहीं है। पुलिस ने घटना के संबंध में उसके कोई बयान नहीं लिये थे। अभियोजन द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि घटना दिनांक को प्रमोद गुप्ता के दुकान के सामने आहत एवं आरोपीगण की आमने-सामने से मोटर सायकिल से रोड़ पर टक्कर हो गई थी तथा घटना दिनांक को आरोपी दुर्गेश ने अपनी मोटर सायकिल में राकेश को बैठा कर दिलीप सोनी को टक्कर मार दिया था, जिससे उसे चोट लगी। साक्षी ने उसका पुलिस कथन प्रपी-01 पुलिस को न देना व्यक्त किया।

09— साक्षी प्रमोद गुप्ता अ.सा.02 ने कथन किया है कि वह आरोपी को जानता है। घटना की उसे कोई जानकारी नहीं है। पुलिस ने पूछताछ कर कोई बयान नहीं लिये थे। अभियोजन द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि दिनांक 03.01.2014 को रात्रि 8:00 बजे वह अपनी दुकान पर था, उसी समय उसकी दुकान के सामने दो मोटर सायकिल वालों की आपस में टक्कर हो गई थी और वे नीचे गिर गये थे। यह अस्वीकार किया है कि फिर उसने और राजा राठौर ने उन लोगों को उठाया, उनमें से उनके गांव का दिलीप सोनी था एवं दूसरा गाड़ी वाला न्यायालय में उपस्थित आरोपी दुर्गेश था, आरोपी दुर्गेश के साथ वाले व्यक्ति ने अपना नाम राकेश बताया था, उसने पुलिस को प्रपी-2 का कथन दिया था, वह आरोपी से मिल गया है, इसीलिये उसे बचाने के लिये न्यायालय में सही बात नहीं बता रहा है तथा उक्त दुर्घटना में आरोपी दुर्गेश मात्रे की गलती थी।

10— साक्षी विजय मात्रे अ.सा.06 का कथन है कि वह आरोपीगण को नहीं जानता है। उसके समक्ष कोई जप्ती की कार्यवाही नहीं हुई थी, जो प्रपी-05 है, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर नहीं है। अभियोजन द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि दिनांक 10.01.2014 को ग्राम बंजारीटोला थाना मलाजखंड के आरोपी दुर्गेश मात्रे से एक मोटर सायकिल क्रमांक एम.पी.50.एम.ई.1157 मय दस्तावेजों के आरोपी द्वारा पेश करने पर पुलिस ने जप्त किया था, प्रपी-05 है, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है, किन्तु यह स्वीकार किया है कि वह पढ़ा-लिखा है और कोई भी दस्तावेजों पर पढ़कर ही हस्ताक्षर किया जाता है। साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि आरोपी दुर्गेश मात्रे से उसके समक्ष वाहन मोटर सायकिल क्रमांक एम.पी.50एम.ई.1157 मय दस्तावेजों के पुलिस ने जप्त किया था, तब उसने हस्ताक्षर किया था, उक्त दस्तावेज पर उसके हस्ताक्षर है, वह आज आरोपी से मिल गया है और उसे बचाने के लिए असत्य कथन कर रहा है।

11— साक्षी यशवंत गोयल अ.सा.07 का कथन है कि वह प्रार्थी दिलीप सोनी एवं दुर्गेश मात्रे को नहीं जानता है। उसके समक्ष पुलिस ने वाहन की टूट-फूट का नुकसानी पंचनामा नहीं बनाया था, किन्तु नुकसानी पंचनामा पर उसके हस्ताक्षर हैं। अभियोजन द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि दिनांक 10.01.2014 को पुलिस ने उसके समक्ष दिलीप सोनी की मोटर साइकिल क्रमांक एम.पी.50/एम.सी-7990 जिसे वाहन मोटर साइकिल क्रमांक एम.पी.50/एम.ई-1157 के चालक ने ठोस मार दिया था, जिससे उक्त वाहन को ठोस मारने से दिलीप सोनी की मोटर साइकिल के सामने का इंडिकेटर एवं हैडलाईट, सॉकप बार बँड हो गया था, जिसकी नुकसानी 2,000/- रुपये की हुई थी, का नुकसानी पंचनामा बनाया था। साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि पुलिस ने प्र.पी.08 के अनुसार नुकसानी पंचनामा बनाया था, किन्तु बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

12— साक्षी यशवंत गोयल अ.सा.07 ने अभियोजन पक्ष के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि वह पढ़ा लिखा है, किन्तु यह अस्वीकार किया कि उक्त दस्तावेजों की कार्यवाही उसके समक्ष हुई थी, तभी उसने उन पर हस्ताक्षर किये थे। यह अस्वीकार है कि उसका आरोपी से समझौता हो गया है इसलिए आज वह न्यायालय में असत्य कथन कर रहा है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने कथन किया है कि उसकी मोहगांव में साइकिल स्टोर की दुकान है, प्र.पी. 08 के दस्तावेज में जो हस्ताक्षर है वह उसने कब और कहाँ किया था उसे याद नहीं है। यह स्वीकार किया है कि उसके समक्ष प्र.पी.08 की कोई कार्यवाही नहीं हुई थी।

13— साक्षी प्रेमनाथ अ.सा.09 का कथन है कि वह आरोपी को नहीं जानता है। प्रार्थी दिलीप सोनी को जानता है। उसे घटना की कोई जानकारी नहीं है। पुलिस ने उसके समक्ष कोई नुकसानी पंचनामा तैयार नहीं किया था। अभियोजन द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि पुलिस ने उसके समक्ष दिलीप सोनी की मोटर साइकिल क्रमांक एम.पी.50एम.सी.7990 की दुर्घटना में हुई क्षति बाबद् नुकसानी पंचनामा तैयार किया था, जिसमें दो हजार रुपये की नुकसानी बताई थी, परन्तु नुकसानी पंचनामा प्र.पी.08 के सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि उसने दस्तावेज पर पुलिसवालों के कहने पर हस्ताक्षर कर दिया था, उक्त दस्तावेज को पढ़कर नहीं देखा था और ना ही पुलिसवालों ने उसे पढ़कर बताया था।

14— साक्षी संतकुमार अ.सा.08 का कथन है कि उसके द्वारा थाना मलाजखंड में अपराध क्रमांक 2/14 में जप्तशुदा वाहन मोटर साइकिल क्रमांक एम.पी.50एम.ई.1157 का मैकेनिकल परीक्षण किया गया था। परीक्षण कर उसने वाहन के सामने का इंडिकेटर, मास्क, मरघाट टूटा हुआ, दांये

तरफ का शॉकप बार, सामने का रिंग तथा हैंडल बेंड एवं इंजन ठीक अवस्था में पाया था। उसकी परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी.11 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि उसे वाहन परीक्षण करने का कोई सर्टिफिकेट प्राप्त नहीं है तथा उसके द्वारा पुलिस के कहने पर बिना वाहन का परीक्षण किये झूठी रिपोर्ट तैयार की गई है।

15— साक्षी डॉ० बी. चौधरी अ.सा.07 का कथन है कि वह दिनांक 03.01.2014 को एम.सी.पी. मलाजखण्ड में चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थ था। उसी दिनांक को मलाजखण्ड के आरक्षक भगत के द्वारा आहत दुर्गेश मात्रे एवं दिलीप सोनी को परीक्षण हेतु लाया गया था। उक्त दिनांक को आहत दिलीप कुमार का परीक्षण करने पर निम्नलिखित चोटें पाया था, जिसमें चोट क्रमांक01—कंट्यूजन बांये हाथ के कंधे पर तथा चोट क्रमांक—02 बांयी आंख के पीछले भाग पर लेसरेटेड वुड पाया था। उसके मतानुसार उक्त चोटें साधारण प्रकृति की थी, जो उसके परीक्षण के एक घंटे के भीतर की थी, जो सड़क दुर्घटना में आना संभावित थी। उसकी चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट प्रपी—10 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि दोनों आहत को आयी चोटे किसी कड़ी वस्तु से टकराने के कारण आ सकती है।

16— साक्षी अजयसिंह बैस अ.सा.04 का कथन है कि वह दिनांक 03.01.2014 को थाना मलाजखण्ड में प्रधान आरक्षक गस्ती के पद पर कार्यरत था। थाना प्रभारी महोदय के आदेश से अपराध क्रमांक 02/14 की डायरी धारा 279, 337 भा.द०सं० विवेचना हेतु प्राप्त हुई थी, जिसकी कायमी सहायक उप निरीक्षक अनिल यादव द्वारा एवं सम्पूर्ण विवेचना अपराध विवरण फार्म प्र.पी.04 है, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके द्वारा आरोपी दुर्गेश को गवाह पूरनलाल और गणेश के समक्ष गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्र प्र.पी.06 बनाया गया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

17— साक्षी अजयसिंह बैस अ.सा.04 के अनुसार दिनांक 03.01.2014 को आरोपी दुर्गेश से वाहन मोटर साईकिल क्रमांक एम.पी.50एमई.1157 मय कागजात गवाह विजय तथा रूपेश मात्रे के समक्ष जप्त कर जप्ती पंचनामा प्र.पी.05 बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके द्वारा लिखा गया जमानतनामा प्र.पी.07 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके द्वारा दिलीप सोनी के वाहन मोटर साईकिल क्रमांक एम. पी.50एम.सी.7990 का नुकसानी पंचनामा प्र.पी.08 बनाया गया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। गवाह दिलीप, राजा, प्रमोद के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किया था। बाद विवेचना पूर्ण होने के पश्चात अपराध डायरी थाना प्रभारी महोदय के समक्ष सौंपी गयी थी। बाद आदेश के

चालान कता किया गया था।

18— साक्षी अजयसिंह बैस अ.सा.04 ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि आहत को चोट आने पर मुलाहिजा के संबंध में फार्म उनके द्वारा भरकर संबंधित चिकित्सक के पास भेजा जाता है, उसके द्वारा आहत के मुलाहिजा के संबंध में प्रकरण में मुलाहिजा फार्म संलग्न नहीं किया गया है। साक्षी के अनुसार घटना के तुरंत बाद मलाजखण्ड कॉपर प्रोजेक्ट हॉस्पिटल में उसका उपचार किया गया है, जिसका मुलाहिजा फार्म संलग्न है।

19— साक्षी अजयसिंह बैस अ.सा.04 ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि उसके द्वारा एफ.आई.आर का लेखन कार्य नहीं किया गया था, एफ.आई.आर में प्रार्थी एवं आहत के आमने सामने की टक्कर का लेख किया गया है, प्रार्थी की शिकायत पर आरोपी से वाहन जप्त किया जाता है, उक्त प्रकरण में प्रार्थी भी आरोपी है, जो कि नाबालिग होने के कारण प्रकरण बालाघाट में विचाराधीन है, नुकसानी पंचनामा प्रार्थी के कहे मुताबिक तैयार किया गया है, किन्तु यह अस्वीकार किया है कि नुकसानी पंचनामा में दो हजार रुपये की नुकसानी के संबंध में जो लेख किया गया है वह मैकेनिकल परीक्षण के मापदण्ड अनुसार लेख है, किन्तु यह स्वीकार किया है कि उसके द्वारा नुकसानी पंचनामा जिन व्यक्तियों के समक्ष तैयार किया गया था उनके कथन साक्षी के तौर पर लेखबद्ध नहीं किये गये हैं। साक्षी ने अस्वीकार किया कि उसके द्वारा नुकसानी पंचनामा साक्षियों के समक्ष नहीं बनाये गये थे, उसके द्वारा मौका-नक्शा संबंधी कार्यवाही प्रार्थी की निशादेही पर थाने में बैठकर बनाया गया था। उसके द्वारा नुकसानी पंचनामा दो हजार रुपये की राशि का मापदण्ड प्रार्थी के वाहन को हुई क्षति के अनुसार तैयार किया गया था। साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि उसके द्वारा जप्ती एवं गिरफ्तारी संबंधी कार्यवाही नहीं की गयी थी।

20— उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक वाहन चलाये जाने के प्रकरणों में अभियोजन को संदेह से परे यह प्रमाणित करना होता है कि वाहन चालक द्वारा घटना दिनांक को घटना के समय अनावश्यक जल्दबाजी व अविवेकपूर्ण गति से वाहन को चलाया जा रहा था या ऐसी कोई लापरवाही बरती गई थी, जिसके कारण दुर्घटना हुई थी। अभियोजन साक्षीगण ने अपनी-अपनी साक्ष्य में आरोपी द्वारा घटना दिनांक को घटना के समय वाहन को अनावश्यक जल्दबाजी एवं अविवेकपूर्ण गति से तथा जानबूझकर लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाया गया था, कोई तथ्य एवं परिस्थितियों प्रकट नहीं की है। अन्य किसी भी साक्षी ने अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं किया है। अभियुक्त के गाड़ी चलाने के ढंग तथा उपेक्षा से समर्थित कोई भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जिससे यह नहीं कहा जा सकता है कि

अभियुक्त द्वारा घटना दिनांक को सार्वजनिक लोकमार्ग पर उपेक्षापूर्वक तथा लापरवाही से वाहन चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया गया।

विचारणीय बिन्दु क्रमांक 02 एवं 03 का निष्कर्ष :-

सुविधा की दृष्टि तथा साक्ष्य की पुनरावृत्ति को रोकने के आशय से दोनों विचारणीय बिंदुओं का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

21- पूर्व विवेचना से दर्शित है कि घटना के समय आरोपी दुर्गेश मात्रे वाहन चला रहा था, परंतु वाहन को बिना अनुज्ञप्ति के चलाये जाने के संबंध में प्रकरण में लेशमात्र भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। किसी भी साक्षी ने उक्त संबंध में कोई कथन नहीं किये हैं। ऐसी स्थिति में अभियुक्तगण के विरुद्ध कोई विपरीत उपधारणा नहीं की जा सकती।

22- अतः अभियुक्त दुर्गेश मात्रे को भा.दं०सं० की धारा-279 एवं मो.व्ही. एक्ट की धारा-3/181 तथा अभियुक्त पदमसिंह को मो.व्ही. एक्ट की धारा-5/180 के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

23- अभियुक्तगण के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

24- प्रकरण में जप्तशुदा वाहन मोटर सायकिल क्रमांक एम.पी. 50.एम.सी.1157 वाहन के पंजीकृत स्वामी की सुपुर्दगी में है। सुपुर्दनामा अपील अवधि के पश्चात वाहन स्वामी के पक्ष में उन्मोचित हो तथा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देश का पालन किया जावे।

25- अभियुक्तगण विवेचना या विचारण के दौरान अभिरक्षा में नहीं रहे हैं, इस संबंध में धारा-428 जा०फौ० का प्रमाण पत्र बनाया जावे जो कि निर्णय का भाग होगा।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित,
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया।

सही / -

(अमनदीप सिंह छाबड़ा)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर
जिला बालाघाट(म.प्र.)

सही / -

(अमनदीप सिंह छाबड़ा)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर
जिला बालाघाट(म.प्र.)